HIGH COURT OF MADHYA PRADESH JABALPUR

۱ ۱ -

Jabalpur, dt .2...../06/2018.

The Copy of Notificaion No. 1-6-89-21-B(1)/2534/2018 dated 13-06-2018 issued u/s 36 (2) of NDPS Act by the State Government, Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal,, is forwarded to :-

- 01. The District & Sessions Judges,
- 02 The District & Sessions Judge (Vigilance), Jabalpur / Indore / Gwalior;
- 03. The Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of Madhya Pradesh;
- 04. Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(VI.)/(A.W.), High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 05. Shri/Smt
- 06. P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordship;
- 07. P.S. to Registrar General/Registrar(Judl)/ Registrar (I & V)/V II/ Registrar(Examination)/ Registrar (I.
- L.R.)/OSD-(DE) High court of Madhya Pradesh Jabalpur
 08. P.A. to Director/Additional Director, M.P. State Judicial Acadamey, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- 09. D.R. Confdl/S.O. (Checker/W.S./Budget, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- 10. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- 11. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

auflinger al (VARUN PUNASE) OSD(DE)

13 JUN 2018 देश हासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 13/06/2018

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 2480 2534/2018 – स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फाक्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,अनुक्रमांक 29, 30, 32, 38, 40 तथा 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातः--

	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र / सेशन खण्ड
"29.	श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, सेशन न्यायाधीश, बैतूल	बैतूल	बैतूल
30.	श्री काशिफ नदीम खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
32.	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्वी निमाड खंडवा	पूर्वी निमाड खडवा	पूर्वी निमाड खडवा
38.	श्री मसूद अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	रतलाम्	रतलाम्
40.	श्री अवनिन्द्र कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सिवनी	सिवनी	सिवनी
41.	श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी
42-क.	श्री जय शंकर श्रीवास्तव, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली (बैढ़न)	सिंगरौली (बैढ़न)	सिंगरौली (बैढ़न)."

यह संशोधन उस. तारीख से प्रवृत्त होगा जिसकों कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

REGISTRAR GENERAL HIGH COURT OF M.P. JABALPUN OSD. (DE) and Wilder

INN 2018

पु.क्रमांक 1—6 / 89 / 21—ब(एक)2480,2534 / 2018, भोपाल, दिनांक...]. 3 / 0 6/ 2018 ्रितिलिपि:—

//3//

रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन कमांक

<u>B/2732/</u>III-6-3/89 Pt-VIII, दिनांक 16.05.2018 एवं ज्ञापन कमाक <u>B/2901</u> -/III-6-3/89 Pt-VIII, दिनांक 21.05.2018के संदर्भ में.

2. सचिव, मं.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,

3. जिला एवं सन्न न्यायाधीश, बेतूल, छिंदवाड़ा, पूर्वी निमाड, खंडवा, रतलाम, सिवनी, शिवपुरी एवं सिंगरौली (बेढन) म.प. की ओर सूचनार्ध प्रेषित।

4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल,

2

1.

की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग–एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। 5. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

, (आर० के० वाणी) सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग